

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक , 1944 (श॰)

संख्या - 546 राँची, गुरुवार,

17 नवम्बर, 2022 (ई॰)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना 17 नवम्बर 2022

संख्याः 03नि0—संख्या—175/2012 रा0नि0आ0 2558..झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा—27 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम—9 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2022—23 के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के नगर निगमों के महापौर का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र—3 में निम्नलिखित रूप में अधिसूचित करता है :—

प्रपत्र-3

(नियम-९ देखिये)

आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

शहरी स्थानीय निकाय-नगर निगम

निर्वाचन क्षेत्र के महापौर

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	II पलामू / 01 मेदिनीनगर नगर निगम	अनारक्षित	अन्य
2	V हजारीबाग / 02 हजारीबाग नगर निगम	अनुसूचित जनजाति	अन्य
3	VII गिरिडीह / 03 गिरिडीह नगर निगम	अनारक्षित	अन्य
4	VIII देवघर / 04 देवघर नगर निगम	अनारक्षित	महिला
5	XIV धनबाद / 05 धनबाद नगर निगम	अनारक्षित	महिला
6	XV बोकारो / 06 चास नगर निगम	अनारक्षित	महिला
7	XX राँची / 07 राँची नगर निगम	अनुसूचित जाति	अन्य
8	XXIII सरायकेला—खरसावाँ / 08 आदित्यपुर नगर निगम	अनुसूचित जनजाति	महिला
9	XXIV पूर्वी सिंहभूम/०९ मानगो नगर निगम	अनारक्षित	अन्य

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0 /-

सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 546 - 50